न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 55/2017 दायरा दिनांक : 08.05.2017

उनवान

1 छीतरसिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1 भंवर सिंह आत्मज फतेहसिंह

2 बहादुर सिंह आत्मज सरदार सिंह अकवाम राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3 बसन्ती बाई पत्नी रतन सिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि :–

1 लक्ष्मण सिंह दत्तक पुत्र रतन सिंह

2 लाडकुँवर आत्मज रतन सिंह

3 पुष्प कंवर आत्मज रतन सिंह अकवाम राजपूत, निवासीगण गुराडिया, झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 भगवान सिंह आत्मज पुष्पकंवर/बालसिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंदूरिया, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़

4 संतोष सिंह आत्मज फतेहसिंह, जाति राजपूत, निवासी गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5 उच्छव कुँवर आत्मज सरदार सिंह पत्नी रूघुनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी चोतरा का खेड़ा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बूंन्दी

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी जिससे वाद संख्या – 57/2011 वास्ते वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट वाद डिक्री किया गया।

निर्णय **दिनांक : 17.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 ग्राम गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 361 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 428 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल 19 किता कुल रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा स्थित है, जो जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 में खाता संख्या 66/63 पर दर्ज है। उक्त आराजीयात के बंटवारा बाबत यह वाद पेश किया जा रहा है, इस कारण आगे वाद में उपरोक्त आराजीयात को वादग्रस्त आराजी कहा जावेगा।

3 वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के शामलाती खाते व कब्जे की आराजी है, जिस पर सभी सहखातेदारान का शामलाती कब्जा चला आ रहा है।

4 वादग्रस्त आराजी वादी के दादा सरदार सिंह के खाते व कब्जे की आराजी थी, जिनका देहान्त हो चुका है।

5 वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी 1/8 हिस्से के खातेदार कृषक है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6 वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विवाद रहता है व शामलाती खाता होने से वादी अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर पा रहा है। इस कारण वादी बंटवारा करवा कर अपना हिस्सा अलग कायम करवाना चाहता है।

7 वादी ने दिनांक 24.12.2006 को प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया ।

8 वादी वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार कृषक है व बंटवारा करवाने की पात्रता रखता है।

9 वाद कारण दिनांक 24.12.2006 को पैदा हुआ।

10 अतः वादी प्रार्थना करता है कि बंटवारा डिक्री प्रदान की जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 361 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 428 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 430 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल 19 किता कुल रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम गुराडिया झाला, तहसील पचपहाड़ का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का हिस्से मुताबिक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बंटवारा रेकार्ड व मौके पर कर खाता अलग अलग कायम किया जावे तथा कब्जा भी अलग अलग तय किया जावे।

11 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

12 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प पीपल्या पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 3 स्वयं उप0। पक्षकारों को प्रकरण का निस्तारण आपसी राजीनामा से करने हेतु समझाईश की गई। वादी ने प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किये जो शा0 फा0 किये गये। उपस्थित पक्षकारों ने आपसी राजीनामा पेश किया, जिसको पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारों ने राजीनामा सुनकर समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक राजीनामा के बंटवारा प्रस्ताव तलब किया जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तामील बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 08.08.2016 को पेश हो।

13 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

14 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई थी, जिसका उद्देश्य पक्षकारान के आपस में समझने पर ही डिक्री जारी करने की संज्ञेयता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुसरण में पक्षकार के मध्य समझौते से मामले का निपटारा करना होता है, इसके लिए न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्ष व्यवहार को अपनाया जाता है। मौजूदा मामले में अपीलार्थी वे प्रत्यर्थीगण के मध्य ग्राम गुराडिया झाला की आराजी जमाबंदी सम्वत 2058–2061 कुल 19 किता कुल रकबा 50 बीघा 3 बिस्वा का किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजी के सभी खसरा नम्बरान का बंटवारा नहीं किया। निर्णय व डिक्री में केवल

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अंकित कर दिया कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का यानि पक्षकारों का 1/4–1/4 हिस्सा रहेगा, जिसका कब्जा जहां है वहीं रहेगा। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा रहेगा।

15 इस प्रकार यह निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय अपील संख्या 140/2010 दिनांक 25.01.2011 के दिशा निर्देश के विपरीत है तथा इस प्रकार इस निर्णय व डिक्री में हक व हिस्से का खसरा नम्बरान तथा राजस्व नक्शे में अंकन नहीं है, इसमें संदिग्धता झलक रही है।

16 इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि के विपरीत, माननीय न्यायालय के निर्णय अपील संख्या 140/2010 दिनांक 25.01.2011 के दिशा निर्देश के विपरीत, समन्याय, साम्या, प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के साथ ही गणितीय गणना के भी विपरीत है, जिसमें विवादग्रस्त मामले में पक्षकारों के मध्य लम्बित विवादग्रस्त प्रश्नों का सही न्याय निर्णयन नहीं हो रहा है।

17 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील अपीलार्थी समय पर इस कारण नहीं कर सका क्योंकि समय पर अपील हेतु आवश्यक धन राशि उपलब्ध नहीं हो सकी, ज्योंही दिनांक 19.04.2017 को अपीलार्थी ने अपील की, तो धनराशि की व्यवस्था की तथा अपील तैयार करवाई व आज यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

18 अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः विधिवत प्रक्रम पर सुनवाई करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

19 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.04.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

20 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

21 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

22 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

23 इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 25.01.2011 के अनुसार अपील संख्या 140/2010 दायरा दिनांक 04.06.2010 उनवान छीतरसिंह बनाम भंवर सिंह में निर्णय पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियमों की अनुपालना में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें और नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

24 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट छीतरसिंह ने स्वंय उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतू पेश किया तथा राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये। जिसके आधार पर दिनांक 17–06–2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर मुताबिक राजीनामा के ग्राम गुराडिया झाला की जमाबन्दी सम्वत 2058–61 खाता संख्या 66 किता 19 रकबा 50.03 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 का यानि पक्षकारों का 1/4, 1/4 हिस्सा रहेगा तथा जिसका कब्जा जहां है वह वहीं रहेगा। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 का हिस्सा 1/4 रहेगा।

25 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर संलग्न पत्रों में प्रकरण संख्या 67/दावा/2011 का गलत अंकन किया गया है जबकि सही प्रकरण संख्या 57/दावा/2011 है। तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक 572 दिनांक 27.12.2017 प्रकरण संख्या 67/दावा /2011 के निर्णय के आधार पर बंटवारा किया जाना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा 57/2011 है जिस पर ही निर्णय दिनांक 17–06–2016 किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पत्रों में प्रकरण संख्या 67/दावा/2011 अंकित है

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ऐसी स्थिति में विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

26 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व न्यायालय के निर्णयों को मददेनजर रखते हुये तथा पत्रावली में लगे हुये पत्रों में सही दावा संख्या का संशोधन करते हुये उभयपक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर तथा राजस्व मण्डल नियमों की अनुपालना में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें और नये सिरे से 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.04.2023 को उपस्थित होवें ।

27 निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा